Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE/No. 151/2010
S.C.No 24 to M.C.No. 8/2002

No.E(MPP)/2006/6/11 New Delhi, dated 11.10.2010

The General Manager (P)
All Indian Railways including
Production Units

Sub: Forwarding of Gazette Notifications G.S.R No.609 (E) – Apprentices Act,1961.

A copy of the Notification No. G.S.R No.609(E) dated 21st July,2010, published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India regarding designation of trades for Trade Apprentices under the Apprentices Act,1961 is enclosed for information, guidance and necessary action.

Please acknowledge receipt.

DA: as above

(Anil Wason)
Deputy Director, (MPP)
Railway Board

No.E(MPP)/2006/6/11 New Delhi, dated 11.10.2010

Copy forwarded for information to:

1.The General Secretary/AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 20 spares)
2.The General Secretary/NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi (With 20 spares)
3 The Members of the Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi((With 90 spares)
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (With 5 spares)
5.The Secretary General, FROA, Rail Bhavan, New Delhi(With 5 spares)
6 The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.

For Secretary, Railway Board.

----2/-

No.E(MPP)/2006/6/11 New Delhi, dated 11-10-2010.

Copy to:

CRB, FC, ML, MM, DG(RHS), DG(RPF), AM(Budget),AM(CE), AM(C&IS), AM(Coml.), AM(Elect.), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sign.), AM(Staff), AM(Rly. Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Trf.), AM(Works), Adv.(Vig.) Adv,Fin(Exp), Adv.(IR), LA, OSD(MIS), ED(Plg.), ED(Accts.), ED(Fin.)(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg,) ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.) EDEE(G)), EDEE(RS), EDF(E), ED(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(C), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Fr.), EDME(Dev.), ED(PP), ED(Projects), ED(Project)/DRMC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G) ,JS(P), IG(RPF(HQ), IG(RS), ED(Sig.) ED(Sat & ECO), EDRS(C), EDT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC®, EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM) ,.EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W),

E(Trg.), E(NG)I, ENG)II, E(G), FE(spl.),

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई/सं. 151/2010
एम.सी. 8/2002 का एस.सी. सं. 24

सं. ई (एमपीपी)/2006/6/11 नई दिल्ली, दिनांक: 11.10.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: राजपत्र अधिसूचना सा.का. नि.सं. 609 (ई)- अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 का अग्रेषण।

भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.सं. 609 (ई), जो अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसों के लिए ट्रेडों के नामांकन के बारे में है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

(अनिल वासन)
उप निदेशक, (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सलंग्न: यथोक्त।

सं. ई (एमपीपी)/2006/6/11 नई दिल्ली, दिनांक: 11.10.2010

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव/एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव/एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. महासचिव, फ्रोआ, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लाईज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

ESST-E (MPP)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932

No. 401] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में समूह सं. 35 के अधीन, क्रम संख्यांक 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"28	मैकेनिक (गैर परम्परागत शक्ति उत्पादन बैटरी और इन्वर्टर)	8282.10	1:5	दो वर्ष	गैर परम्परागत शक्ति उत्पादन बैटरी और इन्वर्टर में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैधुत सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
29.	मैकेनिक (वैधुत इंजीनियरी में प्रयुक्त उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव)	7241.10	1:5	दो वर्ष	वैधुत इंजीनियरी में प्रयुक्त उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैधुत सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

30.	उत्सारण मैकेनिक प्रचालक (प्लास्टिक)	8232.20	1: 3	दो वर्ष	उत्सारण प्रक्रिया में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्लास्टिक प्रसंस्करण सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
31.	अंतःक्षेपी संचन मशीन प्रचालक	8232.25	1: 3	दो वर्ष	अंतःक्षेपी संचन प्रक्रिया में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्लास्टिक प्रसंस्करण सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10. + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
32.	धमन संचन मशीन प्रचालक	8232.35	1: 3	दो वर्ष	धमन संचन प्रक्रिया में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्लास्टिक प्रसंस्करण सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
33.	गृह प्रबंधक (होटल)	5121.10	1: 5	दो वर्ष	विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन आवासन प्रचालन/गृह प्रबंधन में आतिथ्य सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
34.	सहायक फ्रंट आफिस प्रबंधक	5121.25	1:5	दो वर्ष	सहायक फ्रंट आफिस प्रबंधक विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन आतिथ्य सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
35.	शिक्षु खाद्य उत्पादन (पाककला)	5122.20	1: 5	दो वर्ष	खाद्य उत्पादन (पाककला) में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र के अधीन आतिथ्य सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
36.	शिक्षु खाद्य और सुपेय सेवा (स्टुवर्डशिप)	5123.20	1: 5	दो वर्ष	सुपेय सेवा (स्टुवर्डशिप) में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र के अधीन आतिथ्य सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

37.	कंप्यूटर और पेरीफेरल हार्डवेयर मरम्मत और रखरखाव मैकेनिक	3114.10 5220.25	1: 4	दो वर्ष	कंप्यूटर और पेरीफेरल हार्डवेयर मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
38.	कंप्यूटर नेटवर्क तकनीशियन	4122.10 4112.20 4113.35	1: 4	दो वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में कंप्यूटर नेटवर्किंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
39.	मल्टीमीडिया और वेबपेज डिजाइनर	4113.30	1: 4	दो वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में कंप्यूटर नेटवर्किंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
40.	प्रोसेस प्लांट प्रचालक	8152.10	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुरक्षण सेक्टर में प्रचालक रसायन प्लांट में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
41.	उपयोगिता प्रचालक	8161.30	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुरक्षण सेक्टर में बायलर और वाष्प टर्बाइन में विशिष्टता प्रचालक स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
42.	अनुरक्षण मैकेनिक	8159.30	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुरक्षण सेक्टर में प्रोसेस प्लांट के मैकेनिकल अनुरक्षण में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण ।	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
43.	इलैक्ट्रिकल मैकेनिक	7241.20	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुरक्षण सेक्टर में प्रोसेस प्लांट के मैकेनिकल अनुरक्षण में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

44.	उपकरण नियंत्रक	7241.10	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुरक्षण सेक्टर में प्रोसेस प्लांट के इलैक्टोनिक और उपकरण अनुरक्षण में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
45.	तकनीशियन फैब्रिकेटर	7212.30	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुरक्षण सेक्टर में इस्पात संरचना की फेब्रिकेशन और डिजाइनिंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण ।	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

[फा. सं. डीजीईटी-2(2)/2009-एपी]

शारदा प्रसाद, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 356, तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 507(अ), तारीख 16 जून, 2010 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

G.S.R. 609(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in Schedule I, under Group No. 35, after serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"28.	Mechanic (Non-conventional Power Generation, Battery and Inverter)	8282.10	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Non-conventional Power Generation, Battery and Inverter.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

35.	Apprentice Food Production (Cookery)	5122.20	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Food Production (Cookery).	One year and six months	Passed 10 class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
36.	Apprentice Food and Beverage Service (Stewardship)	5123.20	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Food and Beverage Service (Stewardship).	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
37.	Computer and Peripherals Hardware Repair and Maintenance Mechanic	3114.10 5220.25	1:4	Two years	Broad Based Basic Training in Information Technology Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of Hardware of Computer and Peripherals.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
38.	Computer Networking Technician	4122.10 4112.20 4113.35	1:4	Two years	Broad Based Basic Training in Information Technology Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Computer Networking.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
39.	Multimedia and Web Page Designer	4113.30	1:4.	Two years	Broad Based Basic Training in Information Technology Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Multimedia and Web Page Designing.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
40.	Process Plant Operator	8152.10	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Operator Chemical Plant.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

29.	Mechanic (Repair and Maintenance of instruments used in Electrical Engineering)	7241.10	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of instruments used in Electrical Engineering.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
30.	Extrusion Machine Operator (Plastic)	8232.20	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Plastic Processing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Extrusion Process.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
31.	Injection Moulding Machine Operator	8232.25	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Plastic Processing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Injection Moulding Process.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
32.	Blow Moulding Machine Operator	8232.35	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Plastic Processing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Blow Moulding Process.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
33.	House Keeper (Hotel)	5121.10	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Accommodation Operation/ House Keeping.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
34.	Assistant Front Office Manager	5121.25	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Front Office Management.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

2828 GI/10-2

41.	Utility Operator	8161.30	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Operation and Maintenance of Boiler and Steam Turbine.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
42.	Maintenance Mechanic	8159.79	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance. Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Mechanical Maintenance of Process Plant.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
43.	Electrical Mechanic	7241.20	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Electrical Maintenance of Process Plant.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
44.	Instrument Controller	7241.10	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Electronic and Instrument Maintenance of Process Plant.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
45.	Technician Fabricator	7212.30	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Fabrication and Designing of Steel Structure.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

[F.No. DGET-2(2)/2009-AP]

SHARDA PRASAD, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356, dated the 1st August, 1992 and last amended vide number G.S.R. 507(E), dated the 16th June 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.